रजिस्ट्री सं० डी-227 REGISTERED No. D-227

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 1970 (चैत्र 21, 1892)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 1970 (CHAITRA 21, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 17 मार्च 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 17th March 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
38.	No. F. 3(12)-NS/70(i) dated 28th February, 1970	Ministry of Finance	10 year Defence Deposits.
	No. F. 3(12)-NS/70(ii) dated 28th February, 1970.	Do.	Sale of National savings certificates (First issue).
	No F. 3(12)/NS/70 (iii) dated 28th February, 1970	Do.	Sale of National Savings Certificates (First issue) Bank Series.
	No. F. 3(12)-NS/70 (iv) dated 28th February, 1970	Do.	Sale of the 12 year National Defence Certificates.
39.	No. F. 3(6)-NS/70, dated 28th February, 1970	Do.	The Post Office (Fixed Deposits) (Amendment) Rules, 1970.
	No. F. 3(7)-NS/70 dated 28th February, 1970	Do.	The Post Office (Time Deposits) Rules, 1970.
	No. F. 3(8)-NS/70, dated 28th February, 1970	Do.	The Post Office (Recurring Deposits) Rules, 1970.
	No. F. (9)-NS/70, dated 28th February, 1970	Do.	The Post Office Savings Bank (Cumulative time deposits) Amendment Rules, 1970.
40.	No. 385/15/70-IT(B) dated 2nd March, 1970.	Do.	Appointment of a Committee of Exports to examine and suggest legal and administrative measures for countering evasion and avoidance of direct taxes.
	सं० 385/15/70 आई०सी० (बी०), वित्त मंत्रालय दिनांक 2 मार्च 1970		कर—अपबंधन को तथा प्रत्यक्ष करों से बचाव को रोकने के निमित कानूनी और प्रशासनिक उपायों की जांच करने तथा सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करना ।
41	No. 39-ITC(PN)/70, dated 3rd March, 1970	Ministry of Foreign trade	Conditions for licensing of imports under the Belgian Government Credit M(1969-70)
	No. 40-ITC(PN)/70, dated 3rd March, 1970.	Do.	Licensing conditions governing imports under EXIM Line of Credit.
42	No. 41-ITC(PN)/70, dated 4th March, 1970.	Do.	Initial validity period of import licenses for raw materials, components and spares issued under various loans/credits—extension of.
43	No. 42-ITC(PN)/70, dated 5th March, 1970.	Do.	Import policy for the period April, 1969—March, 1970.
44	No. 2-ETC(PN)/70, dated 6th March, 1970.	Do.	Export of Mahatama Gandhi Silver ten rupee coins.
45	No. 3-ETC(PN)/70, dated 7th March, 1970.	Do.	Removal of floor price restriction on exports of all lengths of human hair and 'Tukus'.
46	No. 43-ITC(PN)/70, dated 7th March, 1970.	Do.	Import policy for registered exporters for the year April, 1969—March, 1970 (Amendment No. 87).
	No. 44-ITC(PN)/70, dated 7th March, 1970	Do.	Import policy for registered exporters for the year April, 1969—March, 1970 (Amendment No. 88).
47	No. 45-ITC(PN)/70, dated 17th March, 1970.	Do.	Import of capital goods by export oriented units.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	353
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	421
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	23
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	453
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1137
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	1531
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	171
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	399
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	139
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं..	73
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि-सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	221
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	57
पूरक संख्या 15—	
4अप्रैल 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	60
10 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	613

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	353
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	421
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	23
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	453
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including Orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	15
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	171
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	399
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	139
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	73
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	221
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	57
SUPPLEMENT No. 15	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 4th April 1970	601
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 10th March 1970	613

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 25 मार्च 1970

संकल्प

सं० 27/25/68-स्थापना (अनु० जा०)—भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षणों से संबंधित भारत सरकार की नीति गृह मंत्रालय के दिनांक 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प संख्या 42/21/49-एन० जी० एस० में निर्धारित की गई थी। भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 1961 की जनगणना में बताई गई इन जातियों की जन संख्या को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के प्रतिशतों का पुनरीक्षण करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। दिनांक 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प के पैरा 2 तथा 4(1) में दिए गए निर्णयों का संशोधन करते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार के अधीन सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए अब निम्नलिखित आरक्षण किए जाएंगे :—

अनुसूचित जातियां : खुली प्रतियोगिता द्वारा अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता के आधार पर अखिल भारत स्तर पर सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए रिक्त स्थानों के विद्यमान 12½ प्रतिशत आरक्षण के बजाय 15 प्रतिशत आरक्षण होंगे। जहां खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य प्रकार से भरती की जाती है वहां अनुसूचित जातियों के लिए रिक्त स्थानों के 16⅔ प्रतिशत विद्यमान आरक्षण जारी रहेंगे।

अनुसूचित आदिम जातियां : अखिल भारत स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा भरती किए जाने वाले, तथा खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य प्रकार से सीधी भरती किए जाने वाले दोनों प्रकार के पदों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विद्यमान 5 प्रतिशत के बदले 7½ प्रतिशत आरक्षण होंगे।

2. उन पदों तथा सेवाओं में, जिनमें स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर भरती की जाती है, 1961 की जनगणना के आधार पर, जहां आवश्यक हो, विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशत संख्या पुनरीक्षित की जाएगी।

3. भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के रिक्त स्थानों में, जिनमें गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-12-67-स्थापना(ग) दिनांक 11 जुलाई, 1968 द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था की गई है, अब आरक्षण की प्रतिशत संख्या में अनुसूचित जातियों के लिए 12½ प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7½ प्रतिशत कर दी जावेगी।

4. यह आदेश इस संकल्प के जारी होने की तारीख से लागू होंगे, उन पदों को छोड़कर जहां प्रतियोगिता परीक्षा के नियम पहले से ही प्रकाशित हो चुके हैं, अथवा जहां इन आदेशों के जारी होने के पहले ही सीधी भरती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये चयन किए जा चुके हैं।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों; सभी संघ शासित राज्य, क्षेत्रीय परिषदें, गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक तथा भारत के महा लेखा-परीक्षक, मंत्रिमंडल सचिवालय (मंत्रिमंडल कार्य), मंत्रिमंडल सचिवालय (सांख्यिकीय विभाग), राष्ट्रपति जी का सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, उप राष्ट्रपति जी का सचिवालय, नियोजन आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सभी राज्य सरकारों को सूचनार्थ भेजी जाएं।

यह भी आदेश है कि संकल्प भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

उमा शंकर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 1970

नियम

सं० 15/1/70-ए० आई० एस० (1)—निम्नलिखित सेवाओं में 1 नवम्बर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में कमीशन-प्राप्त निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त, अफ़सरों/अल्पकालीन सेवा

आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को चुनाव के द्वारा भरने के लिए अक्तूबर, 1970 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता-परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की, और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, सहमति से आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं। भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती के) नियम, 1954 तथा भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती के) नियम, 1954 के नियम 7(क) में विहित व्यवस्था के अनुसार तथा रिलीज किए गए आपात्कालिक कमीशंड अधिकारी और लघु-कालीन सेवा कमीशंड अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1967 के नियम 5 में विहित व्यवस्था के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था 29 जनवरी, 1971 के बाद लागू नहीं रहेगी, जब तक कि सरकार द्वारा इसकी अवधि बढ़ा न दी जाय।

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा,

(ii) भारतीय विदेश सेवा,

(iii) भारतीय पुलिस सेवा,

(iv) केन्द्रीय सूचना सेवा, ग्रेड II, श्रेणी I,

(v) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,

(vi) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा,

(vii) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,

(viii) भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी-I),

(ix) भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा, श्रेणी-I (सहायक प्रबंधक गैर-तकनीकी),

(x) भारतीय डाक सेवा,

(xi) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,

(xii) सैनिक भूमि (मिलिटरी लैण्ड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी I,

(xiii) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

(xiv) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी-II,

(xv) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II,

(xvi) सीमा-शुल्क मूल्य-निरूपक (एप्रेज़र) सेवा, श्रेणी-II,

(xvii) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सिविल सेवा, श्रेणी-III,

(xviii) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख), अनुभाग अधिकारी ग्रेड-II,

(xix) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा-श्रेणी-II, और

(xx) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, क्लास-II,

(xxi) सैनिक भूमि मिलिटरी (लैण्ड्स और छावनी) सेवा, श्रेणी-II,

(xxii) मनीपुर, पुलिस सेवा, श्रेणी-II,

(xxiii) त्रिपुरा पुलिस सेवा, श्रेणी-II,

(xxiv) मनीपुर सिविल सेवा, श्रेणी-II,

(xxv) त्रिपुरा सिविल सेवा, श्रेणी-II,

(xxvi) गोआ, दमन व दियु सिविल सेवा, श्रेणी-II तथा

(xxvii) पांडिचेरी सिविल सेवा, श्रेणी-II।

उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहता हो उनका उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में कर दें। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी ऐसी सेवा में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जाएगा जिसका उल्लेख वे अपने आवेदन-पत्र में नहीं करेंगे।

ध्यान दें (I):—उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों में उन सेवाओं के अधिमान-क्रम का स्पष्ट उल्लेख करें जिनके लिए वे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार जितनी सेवाओं का चाहें, उल्लेख करें जिससे नियुक्तियां करते समय, योग्यता क्रम में उनके स्थान को दृष्टि में रखते हुए, उनके अधिमानों का भी समुचित ध्यान रखा जा सके।

ध्यान दें (II):—उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन-पत्र में मूलतः उल्लिखित सेवाओं में किसी अन्य सेवा का नाम जोड़ने अथवा उनके अधिमान-क्रम में कोई परिवर्तन करने से संबंधित किसी ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जो 31 दिसम्बर, 1970 को या उसके पूर्व आयोग के कार्यालय में नहीं प्राप्त हो जाता।

2. परीक्षा के परिणाम-स्वरूप भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में निर्धारित की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पद आरक्षित किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों में आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है; अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1965 के साथ पढ़े गए अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियों) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ,

दमन व दियु) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोआ, दमन व दियु) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. इन नियमों में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार वे सारे आपातकालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी, जिन्हें प्रथम नवम्बर, 1962 के पश्चात् राज्यादेश प्राप्त हुआ था, और जो इस अधिसूचना की तारीख से पहले सन् 1970 के दौरान रिलीज हो चुके हों, या इसके पश्चात् सन् 1971 के अन्त तक रिलीज होने हों, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

यह व्यवस्था की जाती है कि प्रथम नवम्बर, 1962 के पश्चात् सेना में भर्ती हुए आपातकालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी/लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारी, जो 1970 से पहले रिलीज हुए हों, वे नियम 8 की व्यवस्था के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 1—इन नियमों के उद्देश्य से "रिलीज" का तात्पर्य निम्नलिखित होगा :—

(i) आपातकालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों से संबंधित एक प्रावस्थाभाजित प्रोग्राम के अनुसार वास्तविक रिलीज,

(ii) लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उनकी सेवा की अवधि समाप्त होने पर वास्तविक रिलीज,

(iii) सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अपंगता।

यह रिलीज सेना में सेवावधि की समाप्ति पर हुई हो, न कि प्रशिक्षण के दौरान या उसकी समाप्ति पर, और वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को हिसाब में जाने के लिए स्वीकार किए गए लघु अवधि राज्यादेश के दौरान या उससे बाद में न हुई हों। दुर्व्यवहार या अदक्षता या अपनी ही प्रार्थना पर रिलीज हुए अधिकारियों के मामले इसके अधीन नहीं आते।

नोट 2—रिपोर्ट में आये वाक्यांश "निर्मुक्त होने के निर्धारित वर्ष" का निम्नलिखित अर्थ है :—

(i) जहां तक इसका संबंध आपातकालिक कमीशंड अधिकारियों से है, वह वर्ष जिसमें वे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार निर्मुक्त होने हों; तथा

(ii) जहां तक अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों का संबंध है वह वर्ष जबकि अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों की पांच वर्ष की सामान्य अवधि समाप्त होती हो।

नोट 3—यदि प्रार्थना-पत्र भेजने के पश्चात् किसी व्यक्ति को सेना में स्थायी राज्यादेश मिल जाए, या वह सेना से त्याग पत्र दे दें, या दुर्व्यवहार, अदक्षता के कारण या अपनी ही प्रार्थना पर वह रिलीज हो जाए, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

नोट 4—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में नियुक्त इंजीनियर और डाक्टर जिन्हें अनिवार्य सेवा योजना के अधीन कम-से-कम एक निर्धारित अवधि तक सेवा करनी ही होती है, और जिन्हें ऐसे सेवाकाल में संबंधित नियमों के अधीन लघु अवधि राज्यादेश दिया जाता है, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 5—सेना के वालन्टीयर रिजर्व फोर्स के वे अधिकारी, जो अस्थाई सेवा के लिए बुलाए गए हों, इस परीक्षा बैठने के पात्र नहीं होंगे।

5. (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस, सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(2) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका में कीन्या, उगांडा, टैंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए, लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गये हों और तब से आम तौर से भारत में रह रहे हों।

(ii) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।

(iii) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसके 26 जनवरी,

1950 के बाद उक्त सेवा द्वारा शुरू की हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता प्रमाण-पत्र देना होगा ।

एक और शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे ।

परीक्षा में उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ, अंतिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

6. (क) उम्मीदवार ने जिस वर्ष में सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया उस वर्ष के अगस्त तक उसकी आयु 24 वर्ष से कम होनी चाहिए या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो ।

यह व्यवस्था की जाती है कि निम्नलिखित नियम 9(ख) के अधीन इस परीक्षा में बैठने के हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने वाले उम्मीदवार को उल्लिखित तारीख को निम्नलिखित आयु का नहीं होना चाहिए:—

(i) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, उस वर्ष सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता ।

इनके मामले में 24 वर्ष ।

(ii) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह अगले वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता । इनके मामले में 23 वर्ष ।

(iii) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे दूसरे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता ।

इनके मामलों में 22 वर्ष ।

(iv) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे तीसरे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता ।

इनके मामलों में 21 वर्ष ।

(v) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे चौथे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता ।

इनके मामलों में 20 वर्ष ।

(vi) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे पांचवें वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता ।

इनके मामलों में 19 वर्ष ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(v) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 3 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(vii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(viii) यदि उम्मीदवार कीन्या, उगांडा या टेंजानिया (भूतपूर्व टेंगानिका तथा जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(ix) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक अधिक आठ वर्ष,

(xi) रक्षा सेनाओं के उन विकलांग कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक वर्ष तक जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए,

(xii) रक्षा सेवाओं के ऐसे विकलांग कर्मचारियों में अधिक से अधिक 8 वर्ष जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के हैं तथा जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए,

(xiii) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था, या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो। वह यदि पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, उसके मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष। यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त प्रथम अवसर तक ही सीमित रहेगी,

(xiv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, वह यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है, तथा साथ ही पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है तो उसके मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष। यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त अवसर तक ही सीमित रहेगी,

(xv) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 या 1964 या 1965 में प्रवेश किया है या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो वह यदि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का निवासी है तो उसके मामले में अधिकतम चार वर्ष यह सुविधा राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले या 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के संबन्ध में परीक्षा में बैठने के लिए मिलने वाले प्रथम अवसर तक ही सीमित होगी, तथा

(xvi) यदि किसी उम्मीदवार ने राज्यादेश मिलने से पूर्व के प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या उसे 1963 अथवा 1964 व 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण की स्थिति में) राज्यादेश मिला हो, और भारतीय नागरिक हो तथा लंका से पुनर्वासित हो।

जो उम्मीदवार राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, या जिन्हें 1965 में (हुए राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, उनके संबंध में इस परीक्षा प्रथम अवसर के लिए ही सुविधा सीमित है।

नोट 1—नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (ii), (iii), (iv), (v), तथा (vi) में उल्लिखित उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (xiii) तथा (xiv) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

नोट 2—नियम 6 के परन्तुक के क्रम संख्या (iii), (iv), (v) तथा (vi) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (xv) तथा (xvi) के निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें 1963 में हुए (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (ii) में उल्लिखित उन उम्मीदारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (xv) तथा (xvi) में निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 1964 के पश्चात् राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

उपर्युक्त परिस्थिति को छोड़ कर निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

7. किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह प्रतिबन्ध 1966 में होनेवाली परीक्षा से लागू होगा ।

परन्तु उस उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने की अनुमति दी जाएगी जो उस वर्ष 1 अगस्त को, जिसमें उसने सशस्त्र सेना में कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो । उपर्युक्त नियम 6 में उल्लिखित आयु का नहीं हुआ था किन्तु जिस वर्ष में उसने कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था उसके बाद के वर्ष के 1 अगस्त को उस आयु का ही हो गया था ।

नोट—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले चुका है ।

8. इन नियमों की व्यवस्थाओं के अंतर्गत:—

(1) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के पहले वाले की परीक्षा में बैठना चाहिये ।

(2) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के वर्ष और उसके पहले वाले वर्ष की परीक्षाओं में बैठना चाहिए ।

बशर्ते कि सैनिक सेवा के कारण विकलांग हुए उम्मीदवार इस नियम के नीचे टिप्पणियों में उल्लिखित अपवादों के अनुसार सन् 1970 में होने वाली परीक्षा में बैठें ।

(i) यदि वह सन् 1969 की परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात् 1969 के दौरान विकलांग हुआ हो, अथवा सन् 1970 की परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के लिए एक अंतिम तारीख से पहले सन् 1970 के दौरान विकलांग हुआ हो और यह अवसर लेने के लिए पात्र हो तो यह उसका केवल मात्र अवसर होगा;

(ii) यदि वह सन् 1969 की परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात् सन् 1969 के दौरान विकलांग हुआ हो, अथवा सन् 1970 की परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की लिए अंतिम तारीख से पहले सन् 1970 के दौरान विकलांग हुआ हो और दो अवसर लेने के लिए पात्र हो तो यह उसका पहला अवसर होगा;

(iii) यदि वह सन् 1968 की परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात् सन् 1968 के दौरान विकलांग हुआ हो, अथवा सन् 1969 की परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के लिए अंतिम तारीख से पहले सन् 1969 के दौरान विकलांग हुआ हो और दो अवसर लेने के लिए पात्र हो, तो यह उसका दूसरा अवसर होगा;

(iv) यदि वह सन् 1969 की परीक्षा के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात् सन् 1969 के दौरान विकलांग हुआ हो और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालिक कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) सन् 1970 के दौरान रिलीज होने वाला हो अथवा (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात् सन् 1970 के दौरान रिलीज होना हो तो उनका यह दूसरा अवसर होगा ।

टिप्पणी 1 :—इस नियम के परन्तुक (क) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो सन् 1968, 1969 तथा 1970 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विकलांग हुए उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालिक कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) क्रमशः 1968, 1969 तथा 1970 के दौरान विकलांग हुए हों अथवा (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामले में) 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि पूरी होने पर क्रमशः सन् 1969 तथा 1970 के दौरान रिलीज होने हों ।

टिप्पणी 2 :—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (i) तथा (ii) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालिक कमीशंड अधिकारियों के मामले में) सन् 1969 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विकलांग हुए हों या (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि के पश्चात् सन् 1969 के दौरान रिलीज होने हों ।

टिप्पणी 3 :—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (iii) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार सन् 1968 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विकलांग हुए हों या (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि के पश्चात् सन् 1968 के दौरान रिलीज होने हों ।

टिप्पणी 4 :—जो उम्मीदवार इस नियम की व्यवस्था के अनुसार सन् 1971 में दूसरा अवसर लेने के पात्र हों वे

यह अवसर ले सकते हैं यदि नियम में उल्लिखित नियमों की व्यवस्था 28 जनवरी, 1971 से आगे सरकार द्वारा बढ़ा दी जाए ।

(ख) जिस अल्प सेवा कमीशंड अधिकारी की 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि आगे बढ़ा दी गई हो और ठीक समय पर सूचना न मिलने के कारण वह पहली परीक्षाओं में न बैठा हो तो रिलीज होने के निर्धारित वर्ष के आधार पर पात्र होने की अवस्था में वह सन् 1970 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है ।

9. (क) उम्मीदवार के पास परिशिष्ट 1 में बताए गए किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या परिशिष्ट 1(क) में उल्लिखित कोई भी योग्यता होनी चाहिए,

बशर्ते कि—

(i) संघ लोक सेवा आयोग अपवादस्वरूप ऐसे उम्मीदवार को भी योग्यता प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास ऊपर बताई गई योग्यताएं नहीं हैं परन्तु जिसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं नहीं हैं परन्तु जिसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं जिनके स्तर से आयोग की राय में उसके परीक्षा में प्रवेश पाने का औचित्य प्रकट होता है ।

(ii) जो उम्मीदवार अन्यथा योग्यता प्राप्त है परन्तु जिसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित नहीं है, वह भी आयोग के पास आवेदन कर सकता है और आयोग के विवेक से उस परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ख) जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में आपातिक कमीशन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्ति के लिए सेवा चयन बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत होने के समय, इस नियम के उप-नियम (क) में निर्धारित कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी संस्था में अध्ययन कर रहा था, परन्तु जो सशस्त्र सेना में नियुक्त हो जाने के कारण अपना अध्ययन जारी नहीं रख सका और इस प्रकार ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं हुई, वह उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

नोट—जो उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा है जिसमें उत्तीर्ण होने से वह इस नियम के उप-नियम (क) के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाएगा, परन्तु जिस परीक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले ही पूर्ण हो जाए । ऐसे उम्मीदवारों को इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, जो अन्यथा इसके लिए पात्र होंगे, परन्तु यह प्रवेश अस्थाई माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकेगा, यदि उक्त परीक्षा के उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण यथाशीघ्र और इस परीक्षा के आरम्भ होने के बाद किसी भी स्थिति में दो महीने तक प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

10. यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा ।

यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में केवल उन्हीं सेवाओं के लिए बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (iii) में दी हुई हैं :—

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाएं क्लास-I,
2.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा,
3.	केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-II दिल्ली—हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा, मनीपुर सिविल सेवा,त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन, दीयु सिविल सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा, मनीपुर पुलिस सेवा और त्रिपुरा पुलिस सेवा ।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय, क्लास-I ।

11. सशस्त्र सेवाओं में कार्य कर रहे उम्मीदवार को चाहिए कि वह इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन-पत्र अपने यूनिट को कमांड करने वाले अफसर के सामने प्रस्तुत कर दें, जो उसे संघ लोक सेवा के पास भेज देगा । उम्मीदवार जो स्वयं अपने यूनिट का समादिष्ट अधिकारी है, अपने से वरिष्ठ अधिकारी की मार्फत आवेदन-पत्र भेजें ।

सरकारी सेवा में लगे अन्य सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए अपने विभाग के अध्यक्ष से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर-बदल किए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने, परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :—

(क) (i) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, तथा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अंतर्गत नौकरियों से, उसको सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए वारित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई हो सकती है।

16. आयोग लिखित परीक्षा में अपने निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता-अंक (Qualifying Marks) प्राप्त उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल आंकड़ों के आधार पर योग्यता-क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के अधार पर अर्हता-प्राप्त समझेगा, उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन शर्त यह है कि यदि आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जो किसी सेवा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित के अनुसार योग्य सिद्ध न हो, प्रशासन की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उस सेवा पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर दे, तो उसकी उस सेवा में, यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये आयोग सिफारिश करेगा।

18. यदि परीक्षाफल के आधार पर, निर्मुक्त आपात-कालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार नहीं होंगे, तो अपूरित रिक्तियों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से भरा जाएगा।

19. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा। आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

20. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवारों की उन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा जो उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेजते समय व्यक्त की हों।

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अन्य सेवा के लिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

और बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (ii) में उल्लिखित किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (iii) में उसी सेवा के सामने उल्लिखित सेवाओं के लिए ही उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

क्रम सं०	जिस सेवा में नियुक्ति हुई	जिस सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा
1	2	3
1.	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I,
2.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-I (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर)।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा,
3.	केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-II, दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा तथा दिल्ली-हिमाचल प्रदेश और निकोबार द्वीप-समूह पुलिस सेवा।	भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-I।

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा कार्रवाई जा सकती है।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी अपनी जांच करवाए। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की जिस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 12 में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में उन मामलों के सम्बन्ध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जाएगी।

23(क) जिस पुरुष उम्मीदवार की एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहने पर भी किसी ऐसी स्थिति में विवाह कर ले कि वह विवाह उक्त पत्नी के जीवित रहने की अवधि में किए जाने के कारण शून्य (वायड) हो जाए तो उसे उन सेवाओं में नियुक्ति का, जिनके लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि भारत सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं और पुरुष उम्मीदवार को इस नियम से छूट न दे दे।

24. भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

26. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उनके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट III में दिए गए हैं।

बी० नरसिंहन्, अवर सचिव

परिशिष्ट I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय।

इंगलैण्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डरहम, लीड्स लिवरपुल, लंदन। मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एवरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सेंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।
नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।
क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय।
ढाका विश्वविद्यालय।
सिंध विश्वविद्यालय।

राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाण्डू।

परिशिष्ट 1-क

परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदन योग्यताओं की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

1. शास्त्री, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique)
3. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल ऑफ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
4. विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ऑल इंडिया कौंसिल फॉर टैकनिकल एज्यूकेशन से वाणिज्य में डिप्लोमा।
6. केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा।

7. श्रीअरबिन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो।

8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा।

9. मानविकी और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उपाधिपत्र यू० एस० एस० आर० में उच्च शैक्षिक स्थापना से अनुप्रमाणित उपाधि-गृहण बिना प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबन्ध का पक्ष लिये हुए परन्तु राज्य की परीक्षाएं पास की हों।

10. शास्त्री (अंग्रेजी विषय के साथ) या पुराना शास्त्री या अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों म विशेष परीक्षा सहित सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा अर्थात् वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की वरिष्ठ शास्त्री परीक्षा।

11. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की अलंकार डिग्री।

परिशिष्ट II

परीक्षा की रूप रेखा

1. प्रतियोगिता-परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे :—

(क) तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसका विवरण नीचे पैरा 2 में दिया हुआ है। इसके पूर्णांक 450 होंगे।

(ख) उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए बुलाएगा। इसके पूर्णांक 250 होंगे और इनमें से 50 अंक सशस्त्र सेना के सेवा-वृत्त के मूल्यांकन के लिए रखे जायेंगे।

2. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	निर्धारित समय	पूर्णांक
(i) निबन्ध	3 घंटे	150
(ii) सामान्य अंग्रेजी	3 घंटे	150
(iii) सामान्य ज्ञान	3 घंटे	150

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए वही प्रश्न-पत्र होंगे जो इस परीक्षा के साथ ही ली जाने वाली नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की योजना के अनुसार उपयुक्त विषयों के लिए होंगे।

4(क) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (i) और (ii) के 'निबंध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में दिए जा सकते हैं, अर्थात् असमिया, बंगला गुजराती, हिन्दी, कन्नड़ कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू तथा उर्दू। अंग्रेजी के अतिरिक्त विकल्प रूप में किसी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को वही भाषा दोनों पत्रों के लिए चुनी होगी। विकल्प सम्पूर्ण पत्र के लिए लागू होगा न कि उस के किसी अंश के लिए।

(ख) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (ii) के सामान्य अंग्रेजी के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए।

टिप्पणी I:—ऊपर दिए पैरा 4(क) में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में प्रश्न पत्र (ओ०) के उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के कालम 33 में संबंधित भाषा का नाम संबंधित प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के सामने देना चाहिए। यदि दिए हुए कालमों में एक या दोनों प्रश्न पत्रों के संबंध में कोई अंदराज नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएंगे। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा।

टिप्पणी II:—ऊपर दिए पैरा 4(क) में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर क्रमशः निम्नलिखित लिपि में देंगे :—

भाषा	लिपि
1. असमिया	असमिया
2. बंगला	बंगला
3. गुजराती	गुजराती
4. हिन्दी	देवनागरी
5. कन्नड़	कन्नड़
6. कश्मीरी	फारसी
7. मलयालम	मलयालम
8. मराठी	देवनागरी
9. उड़िया	उड़िया
10. पंजाबी	गुरुमुखी
11. संस्कृत	देवनागरी
*12. सिंधी	देवनागरी अथवा अरबी
13. तमिल	तमिल
14. तेलुगू	तेलुगू
15. उर्दू	फारसी

*ऊपर पैरा 1(क) में दिए गए प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने के लिए सिंधी का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के कालम 32 में उस विशेष लिपि (देवनागरी या अरबी) का नाम लिखना चाहिए जिस में वे उत्तर लिखेंगे।

5. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्कस) निर्धारित कर सकता है।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो इसके लिये उसे अन्यथा प्राप्त कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जायेंगे।

8 उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में दिए गए नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसीलिए काट लिए जायेंगे कि कहीं सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

भाग—(क)

[परिशिष्ट II की धारा II की उप-धारा (क) के अनुसार]

1. **निबंध**—उम्मीदवारों से एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिये कई विषय दिये जायेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भाषाभिव्यक्ति की प्रश्रय दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी**—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी रखे जायेंगे जिससे उनकी तर्कशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अन्तर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसाकि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांक दिए जायेंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान**—सामयिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है कि जिसने वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे :

भाग (ख)

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उप-धारा (ख) के अनुसार]

व्यक्तित्व परीक्षा—एक बोर्ड उम्मीदवार का इंटरव्यू लेगा। इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत होगा। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे। यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/उनके लिये वह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि उनकी जांच तो लिखित प्रश्न-पत्रों में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा आधुनिक विचारधाराओं में और उन नई खोजों में भी रुचि ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

परिशिष्ट III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1. **भारतीय प्रशासनिक सेवा—(क)** नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवार को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य, या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) **वेतनमान**—

जूनियर—रु० 400—400—500—40—700—कु० रो०—30—1000 (18 वर्ष)

सीनियर—

(i) **समय-मान**—रु० 900 (छठे या पहले)—50—1000—60—1600—50—1800 (22 वर्ष)

(ii) **सलेक्शन ग्रेड**—1800—100—2000

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2150 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

(छ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(ज) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं।

(झ) **डाक्टरी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय, सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 द्वारा शासित होते हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कोंसुल बनाकर उन भारतीयों मिशनों में भेज दिया जायेगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों। प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जायेगा। परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (सब्स्टेंटिव पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है।

(घ) **वेतनमान**—

जूनियर—रु० 400—400—500—40—700—कु० रो०—30—1000।

सीनियर—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50—1000—60—1500—50—1800।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है।

(ङ) परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास।

नोट—1. परखाधीन अधिकारी की परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन-वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी।

नोट—2. परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि तभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हो) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा। विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन-वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं।

नोट—3. परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ०आर० 22—बी० (1) के अधीन दिया जाएगा।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय, विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बढ़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इंटरटेनमेन्ट) सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें। इसके अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendence Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं।

(iii) भारत आने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक-से-अधिक दो बार और विशेष आपाती स्थितियों (emergencies) में ही दिया जायेगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा

का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें। परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक-से-अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा/भत्ता।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Outfit Allowance) अधिकारी की सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए।

(vii) विदेश में कम-से-कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए, छुट्टी पर घर जाने का किराया।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी। विदेश में की गई सेवा के लिये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली 1961 के अन्तर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी।

(झ) **भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, समन्वय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली 1950 द्वारा शासित होते हैं।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं।

3. **भारतीय पुलिस सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख), (ग), (घ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख), (ग) और (घ) में दिया गया है।

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं।

(च) वेतनमान—

जूनियर—रु० 400-400-450-30-600-35-670-रु० रो०-35-950 (18 वर्ष)

सीनियर—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले)-40-1100-50/2-1250-50-1300 (22 वर्ष)

सलेक्शन ग्रेड—रु० 1400

पुलिस उप-महानिरीक्षक—रु० 1600-100-1800।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800-100-2000।

पुलिस महानिरीक्षक—रु० 2500-125/2-2750

निदेशक, खुफिया ब्यूरो—रु० 3000।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा।

(छ), (ज), (झ), (ञ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (छ) (झ) और (ञ) में दिया गया है।

4. **दिल्ली हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा, श्रेणी 2**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा। यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्ति कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन हिमाचल प्रदेश या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की सरकार के अंतर्गत सेवा करनी होगी। उससे भारत सरकार के किसी पुलिस खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है।

(ङ) वेतनमान :—

ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड)—1000 रु० स्थिर।

ग्रेड II—समय मान—350-25-500-30-590-द० अ०-30-800 रु०।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परंतुक के अधीन विनियमित किया जायेगा। सेवा में नियुक्त किए।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतन-मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहने-सहने के बढ़े खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिए जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1965 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों, और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने वाले तदनुरूप (corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-2 (श्रेणी-1)—

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम संगठनों (menia organisation) में भारत भर में हैं। इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार-एजेंसी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :

ग्रेड	वेतनमान
श्रेणी I	
सलेक्शन ग्रेड	रु० 2500–125/2–2750
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1800–100–2000
(जूनियर मान)	रु० 1600–100–1800
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड	
(सीनियर मान)	रु० 1300–60–1600
(जूनियर मान)	रु० 1100–50–1400
ग्रेड II	रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०–35–850।
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड III	रु० 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800
श्रेणी 2 (राजपत्रित)	
ग्रेड IV	रु० 270–10–290–15–410–कु० रो०–15–485।

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में सीधी भर्ती नीचे स्पष्ट की गई प्रतिशतता के अनुसार की जाती है :—

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम)	12½%
ग्रेड I	25%
ग्रेड II स्थायी पदों का	50%
ग्रेड IV	100%

ग्रेड III की रिक्तियां उन अधिकारियों में से प्रवरण द्वारा भरी जाती हैं जिनके लिए आयोग ने नियम 5 के अधीन ऐसे ग्रेड में ड्यूटी पद पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश की है जो ग्रेड III से कम न हो और ऐसे अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो जिन अधिकारियों की ग्रेड IV में ड्यूटी पद पर अनुमोदित सेवा लगातार पांच वर्ष की हो चुकी है उनमें से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर प्रवरण के आधार पर, पदोन्नति द्वारा ये रिक्तियां भरी जायेंगी।

ग्रेड II की 50% स्थायी तथा समस्त अस्थायी रिक्तियां, ग्रेड I की 75% रिक्तियों और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) की 87½% रिक्तियां तुरंत नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति के आधार पर भरी जाती हैं।

सलेक्शन ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम), तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियां सम्बन्धित ग्रेड से तुरन्त नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन द्वारा भरी जाती हैं। यदि ऐसी पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो सलेक्शन ग्रेड तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की ऐसी रिक्तियों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति की जायेगी। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियां उक्त ग्रेड के कनिष्ठ वेतनक्रम में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी।

सरकार किसी भी ग्रेड में उस ग्रेड की संख्या के अधिक-से-अधिक 10% तक संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, ऐसी निश्चित की गई अवधि के लिए जो 5 वर्ष से अधिक न होगी, राज्यों के प्रकार संगठनों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भर सकती है। पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित करते समय इस प्रकार भरे गये पदों को ध्यान में रखा जाता है।

उक्त श्रेणियों की शेष रिक्तियां तथा चयन ग्रेड, सीनियर प्रशासन ग्रेड एवं ग्रेड-III की रिक्तियां भी तुरन्त निचली श्रेणियों में 'ड्यूटी' पदों पर काम कर रहे अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति करके भरी जाती है। जूनियर प्रशासन ग्रेड के सीनियर वेतनमान की रिक्तियां उक्त ग्रेड के जूनियर वेतनमान में 'ड्यूटी' पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों में से 'वरिष्ठता' तथा 'सुयोग्यता' (सीनियरिटी-कम-फिटनेस) के आधार पर पदोन्नति करके भरी जाती हैं।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भरती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा-काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन) किसी समाचार-पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 15 मास होगी। प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्य-क्रम संपूर्ति परीक्षा" (एड-आफ-द-कोर्स-टेस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा में भाषा-ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा से मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो।

(ii) परख-अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार, उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण सन्तोषजनक न रहा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे। यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो उसे तत्काल सेवा-मुक्त किया जा सकता है।

(iii) परिवीक्षाधीनों को प्रारम्भ में ग्रेड II के वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा। प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों का वेतन बढ़ा कर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतन क्रम में रु० 450 कर दिया जायगा। द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तों को पूरा नहीं कर लेता। यदि कोई परिवीक्षाधीन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्यक्रम-संपूर्ति परीक्षा" में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उसमें एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो पहले हो, रोक दिया जायगा।

(iv) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सार्वधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र के प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है।

(छ) जहां तक छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायगा।

परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा।

6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा।

7. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा।

8. भारतीय रक्षा लेखा सेवा।

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो। यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी।

(ख) यदि, यथा-स्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, यथा-स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथा-स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महा-लेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते हैं और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियन्त्रक और महा-लेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना होगा/पड़ेगा।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है।

(च) वेतन मान—

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा—

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान—

रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300–60–1600।

महालेखापाल—रु० 1800–100–2000–125–2250।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायगी।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

नोट 3—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी। यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिये उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़ें तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी।

नोट 4—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अति किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतनमूल नियम 22-ख. (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा :

अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, क्लास I, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सहायक कलक्टर, सीमाशुल्क।	रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250।
डिप्टी कलक्टर, सीमा शुल्क डिप्टी कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अतिरिक्त कलक्टर, अपिलेट कलक्टर।	रु० 1100-50-1300-60-1600।
कलक्टर, सीमा शुल्क कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	रु० 1800-100-2000-125-2250।

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की सम्भावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही "फील्ड सर्विस" भी करनी होगी।

नोट 1—एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700-40-1100-50/2-1250 के समय वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवाकाल को वह कार्यभार ग्रहण करने 22-ख (1) की तारीख से मानेगा।

नोट 2—परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय-वेतन-मान में रु० 400 से अधिक वेतन तब नहीं दिया जायगा जब तक कि वह, समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती।

नोट 3—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा, श्रेणी 1 में नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

नोट 4—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा-शुल्क विभाग मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्स ट्रेनिंग) के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में नियुक्त किया जायगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी। उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी। पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, उसका वेतन पहली अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर, रु० 450 कर दिया जायगा। विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण हो जाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि देकर रु० 480 कर दिया जायगा। वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जायगा।

नोट 5—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के गठन में समय-समय

पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा ।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा :

समय-मान—

रु० 400-400-450-480-कु० रो०-700-40-1100--1100-1150-1150-1200-1200-1250-।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1300-60-1600।

रु० 1600-100-1800 (सलेक्शन ग्रेड)

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—

रु० 1800-100-2000-125-2250।

रक्षा लेखा महानियंत्रक—रु० 2750 (नियत) ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी ।

उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को 400 रुपये से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे, इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नहीं पास करता उसकी पहली वेतन-वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड I पास कर लेने पर प्राप्त होता उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलती और इन दोनों में जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

9. **भारतीय आयकर सेवा श्रेणी I**—(क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु वह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्त पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मक्त कर सकती है या उसकी परखा-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है– परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी है तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) वेतन मान :—

आयकर अधिकारी, श्रेणी I—

रु० 400-400-450-30-510-कु० रो०-700-40-1100-50/2-1250।

आयकर सहायक आयुक्त—रु० 1100-50-1300-60-1600।

आय-कर के अपर आयुक्त—

1600-100-1800-रु० शीघ्र ही पदों के बनाये जाने की सभावना है ।

आयकर आयुक्त—रु० 1800-100-2000-125-2250 ।

परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खाण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जायगा । विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 480 कर दिया जायेगा । रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाए ।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिये उसकी वेतन-वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आय-कर सेवा श्रेणी I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वह उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे ।

10. भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी I (गैर-तकनीकी संवर्ग)

नियुक्तियां सहायक प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) के पदों पर की जायेंगी। उम्मीदवार दो वर्ष तक परख पर रहेगा। इस अवधि में उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय तथा भाषा की परीक्षाएं पास करनी होंगी।

परख की अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

चुने हुए उम्मीदवारों को, अपनी नियुक्ति के समय, इस आशय का एक बांड भरना होगा कि वह अपनी परख-अवधि को सफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद, कम-से-कम तीन वर्ष तक भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा में कार्य करता रहेगा।

सहायक प्रबन्धक, जिनका पुनरीक्षित वेतन-मान रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० रो०—35-950, गुणों (Merits) के आधार पर, भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा के ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकते हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

	वेतन-मान
1. उप-प्रबंधक (गैर-तकनीकी) उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी।	रु० 700-40-1100-50/2-1250।
2. प्रबन्धक (गैर-तकनीकी) सीनियर उप-सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी।	रु० 1100-50-1400
2. सहायक महानिदेशक आर्डनेंस फैक्टरी (ग्रेड 2)	रु० 1300-60-1600
4. सहायक महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी (ग्रेड 1)	रु० 1600-100-1800
5. उप-महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी।	रु० 1800-100-2000

विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीक प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनका वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जायेगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जायेगा। समय-मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इसके बाद उनका निश्चय होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी, की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जायेगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

11. भारतीय डाक सेवा

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

वेतन मान :—

समय-मान 400—400—450—30—510—कु० रो०—700—10—1100—50/2—1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे)।

डाक सेवा निदेशक : 1300—60—1600।

महापोस्टमास्टर : रु० 1800—100—2000—125—2250।

सदस्य, डाक-तार बोर्ड : रु० 2250—125/2—2750।

Senior Members, Post and Telegraph Board Rs. 300.

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के परखाधीन अधिकारी रु० 400—400—450—30—480—510 कु० रो०—700—40—1100—50/2—1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे। परखाधीन अवधि में उस विभाग की विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी। विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी उन्हें पास करनी होंगी।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जाएगा। दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद

उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जाएगा। समयमान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इस के बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था, उसका वेतन मूल नियम 22 (ख)(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भली-भांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे। चुने हुए उम्मीदवारों को, सरकार के निर्देशानुसार सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा।

12. भारतीय रेलवे लेखा सेवा

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी, परख-अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं, पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर कर देगा। सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता।

(ख) भारतीय रेलवे सूखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो। हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते।

(ग) परखाधीन अधिकारियों की देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परखावधि में पास कर लेनी चाहिए। यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो। किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह परीक्षा पास नहीं कर लेता। ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे लेखा-सेवा अधिकारी के (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अंतर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय-समय पर लागू उदार बनाए गए छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे। परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते है। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(झ) वेतन-मान :

(क) जूनियर रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०–35–950 (प्राधिकृत-मान)।

सीनियर रु० 700 छठे वर्ष या पहले 40–1100–50/2–1250 (प्राधिकृत-मान)

जूनियर प्रशासनिक-मानक 1300–60–1600 (प्राधिकृत-मान) ।

सीनियर प्रशासनिक-मान रु० 1800–100–2000–125–2250 (प्राधिकृत-मान) ।

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख-अवधि में, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा, तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा, तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400–950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की, अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए, अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त हो तो उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समयमान में रु० 400 प्रति मास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा ।

नोट 2—तथापि, जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले सावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता था, उसका वेतन नियम 2018 ब (I) नियम II (मू०ति० 22-ख), में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

13. **सैनिक भूमि और छावनी (सेवा श्रेणी I और श्रेणी II)**

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिनकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा, जिसकी अवधि छः महीने से कम नहीं होगी ।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागी परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ग) (1) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा ।

(2) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है ।

(3) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा

(घ) यदि उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रति-मास मानी जाएगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा ।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी ।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती, उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत

उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो, और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी ।

(छ) वेतनमान इस प्रकार है :—

प्रशासनिक पद

(i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां । रु० 1800–100–2000–125–2250 ।

(ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां रु० 1600–100–1800 ।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां । रु० 1300–60–1600 ।

(iv) सहायक निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां । रु० 1100–50–1400 ।

श्रेणी-I

(v) उप-सहायक निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी — 400–400–450–30–510–कु० रो० 700–40–1100–50/2–1250 ।

श्रेणी-II,

(vi) कार्यपालक अधिकारी, — 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–830–35–900 ।

(vii) सहायक सैनिक संपदा अधिकारी । — 350–25–500–30–590–कु० रो०–30–800–कु० रो०–830–35–900 ।

(ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को, सामान्यता, उप-सहायक निदेशक, सैनिक सम्पदा अधिकारी श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों, में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा-13 की उप-धारा (4) के खण्ड (ङ) का उप-खण्ड (1) लागू होता है ।

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यता, उन छावनियों में नियुक्त किया जाएगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं हैं ।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (by Selection) की जाएंगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे] । श्रेणी-II से श्रेणी-I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी-I से तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि श्रेणी-II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो ।

(ञ) समय-समय पर संशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी ।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए बिना कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से सम्बन्धित न हो ।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत से किसी भी भाग में भेजा जा सकता है ।

14. भारतीय रेलवे यातायात सेवा

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा । उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि में, उन्हें पैरा (ङ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा । यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुसार, परख की कुल अवधि भी बढ़ जाएगी ।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी ।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जाएंगी, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा । जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जाएंगे उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जाएगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों । ध्यान रहे कि ये परीक्षाएं नियमित : प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जाएं । क्योंकि विशेष (एक्सेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा । किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उनकी वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जायेगी । किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद परखाधीन अधिकारियों को एक अन्तिम

परीक्षा पास करनी होगी । यह परीक्षा व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी । जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझ लिये जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा । जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएं पास करने और पक्का होने पर, समय समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन-वृद्धियां ली जा सकेंगी ।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिये । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो ।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और

(ii) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में निदान कर सकेंगे ।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा । वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(छ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय-समय पर लागू उदार छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी ।

(ज) अधिकारियों को, आम तौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे । और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानान्तरित कर सकें ।

(झ) नियुक्त किए गए अधिकारियों की अपेक्षित वरीयता (रिलेटिव सीनियरिटी) आम तौर पर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (Order of merit) के अनुसार निश्चित की जाएगी यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख-अवधि बढ़ानी पड़े, तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी घट सकेगी । वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकर है । उसको यह भी अधिकार है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है ।

(ङ) वेतन मान:—

जूनियर—रु० 400–400–450–30–600–35–670–कु० रो०–35–950 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40–1100–50/2–1250 (प्राधिकृत मान) ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300–60–1600 (प्राधिकृत मान) ।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1800–100–2000–125–2250 (प्राधिकृत मान) ।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, यह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जायेंगी । परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी । और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा ।

यदि परखाधीन अधिकारी अपने परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं, पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद, अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परख-अवधि में, परखाधीन आधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी । अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिकारी को वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जाएगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उससे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

नोट 2—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर अपनी नियुक्ति से पहले किसी सावधिक पद के अतिरिक्त स्थाई आधार पर किसी स्थाई पद पर काम कर चुका हो उसका वेतन नियम

2018 क (1)-आर० 2 [एफ० आर०-22-ख (1)] में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(ट) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी ।

(ठ) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति (Establishment) स्थापना में खाली जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्ण रूप से चुना (Selection) के आधार पर ही की जायेंगी । एकमात्र वरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता ।

(ड) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम ।

नोट 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है ।

नोट 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है । परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जाएगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

नोट 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है । इसमें महाप्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थिति-विशेष को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किए जा सकते हैं, परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए ।

नोट 4—प्रशिक्षण के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी को गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फ़ोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फ़ोरमैन, सहायक नियंत्रक आदि की हैसियत से कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है । प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर "पड़ाव" की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं । उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के लिए किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रण कार्यालयों (Control Offices) और स्टेशनों का निरीक्षण करना पड़ता है । इस सब के लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा रात को भी काम करना पड़ता है ।

(1) पाठ्यक्रम की अवधि-दो वर्ष

मद	अवधि (सप्ताह)
1	2
1. राष्ट्रीय-प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी	17
2. बड़ौदा स्टाफ कालिज (प्रथम प्रावस्था)	13
3. क्षेत्रीय स्कूल, रक्षक के कर्तव्य .	4.5
4. रक्षक के रूप में कार्य करते हुए .	3
5. बुकिंग/पार्सल आफिस, गुड्स शेड तथा यानांतरण शेड . . .	4.5
6. यातायात लेख तथा लेखाओं का यांत्रिक निरीक्षक . . .	4
7. क्षेत्रीय स्कूल में सहायक स्टेशन मास्टर की अर्हता प्राप्त करने के लिए .	4.5
8. यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन तथा ट्रेन परीक्षक के रूप में कार्य . .	13
9. सहायक लोको फोरमैन के रूप में कार्य	2
10. सहायक नियंत्रक . .	9
11. (क) क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण .	4.5
(ख) विद्युत् नियंत्रक का प्रशिक्षण .	2
12. बड़ौदा स्टाफ कालिज (द्वितीय प्रावस्था) . . .	6.5
13. रेलवे जिस में आबंटित किया गया मुख्यालय (प्रचालन) . .	5
14. रेलवे जिसमें आबंटित किया गया—मुख्यालय (वाणिज्य) . .	5
15. संगणक कार्य-क्रम सम्बन्धी और पद्धति डिजाइन का प्रशिक्षण	4.5
प्रशिक्षण को विभिन्न मदों के लिए यात्रा के समय के लिए तथा अनिवार्य छुट्टी के लिए सुरक्षित रखी गई अवधि . .	2
जोड़ . .	104 सप्ताह या 24 महीने

टिप्पणी:—3 से 11 तक की मदें जिनका समय 1 वर्ष होगा आसनसोल डिवीजन में होंगी ।

(2) यदि परखाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिए किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जाएगा । परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जाएगी ।

नोट—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतंत्र रूप से गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाए।

15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

ग्रेड	वेतनमान
सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष	रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800
ग्रेड-I अवर सचिव	रु० 900-50-1200
अनुभाग अधिकारी ग्रेड-I	रु० 350-25-500-30-590-कु० रो०-30-800-कु० रो०-30-830-35-900।
सहायक ग्रेड	रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530।

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल सचिवालय आधार पर गृह मंत्रालय करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जाएगा। इस परख-अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जाएगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-I में पदोन्नति पा सकेंगे।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जाएंगे।

16. सीमा शुल्क मूल्यांकन सेवा, क्लास II

(क) मूल्यांकन ग्रेड में रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-830-35-900 के वेतनमान में भरती की जाती है। नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती हैं तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो, बढ़ा भी सकता है। परिवीक्षा काल में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। उन्हें रु० 375 से ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जाएगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते।

(ख) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है।

(ग) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जायेगा।

(घ) मूल्यांकक की हैसियत से पांच वर्ष सेवा कर लेने के बाद उम्मीदवार मुख्य मूल्यांकक (Principal Appraisor) के अगले उच्च ग्रेड (रु० 600-35-950) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे। उसके बाद वे सहायक कलेक्टर के अगले उच्च ग्रेड (रु० 400-1250) में पदोन्नति के पात्र हो जायेंगे।

(ङ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य क्लास II अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे। जहां तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा शुल्क मूल्यांकक सेवा, क्लास II, की भरती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू होंगी। इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड" के अधीन किसी भी समान या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

17. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकेगी। परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन, हिमाचल प्रदेश या अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी।

(ङ) वेतन मान :—

ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड)	रु० 900–50–1250।
ग्रेड II समय-मान	रु० 400-25-500-30-590-द० अ०–30–800–द० अ०–30–830–35–900।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतन मान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूलनियम 22–ख(1) के परंतुक के अधीन विनियमित किया जायेगा। सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिये ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और जिन स्थानों के लिये भत्ते अनुमत्य होंगे।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा नियमावली, और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लाग होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गये आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं।

18. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान हैं :—

सेवा	वेतनमान
(i) प्रवरण ग्रेड संयुक्त निदेशक/उप-सचिव	1100 रु०–50–1300–60–1600–100–1800
(ii) उप निदेशक का ग्रेड	रु० 900–50–1250–200–वि० वे० प्रति मास
(iii) सहायक निदेशक अवर सचिव	रु० 900–50–1250
(iv) अनुभाग अधिकारी	रु० 350-25-500-30–590-कु० रो०-30–800-कु० रो०-30–830–35-900।
(v) सहायक	रु० 210–10–270-15–300-कु० रो०-15–450-कु० रो०-20–530।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा। इस परख अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यता शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक, अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव, रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे ।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं ।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege ticket orders) लेने की सुविधाओं उपलब्ध हैं ।

(ञ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकारी भी) ।

(क) रेलवे पेंशन से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा, परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में हैं ।

19. भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' अनुभाग अधिकारियों का ग्रेड, श्रेणी II :—

(क) भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (श्रेणी II) के समेकित ग्रेड II और III की अनुरक्षण रिक्तियों का 25 प्र० श० संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती भरी जाती हैं । इस ग्रेड का वेतनमान रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा, जिस अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण की अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि में समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी पद उपलब्ध होने पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार या तो उसे सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को उतना और बढ़ा सकती है जितना वह उचित समझे परिवीक्षा की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतया अनुभागों के अध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय/वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुख्यालय में कार्य करते समय उनके पद नाम अनुभाग अधिकारी और कभी-कभी प्रशासन अधिकारी होंगे । विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्य करते समय उनके पदनाम रजिस्ट्रार होंगे यद्यपि स्थानीय प्रयोजन राजनयिक हैसियत से उन्हें अटैची कहा जा के लिए सकता है ।

(च) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड I में रु० 900–50–1250 के वेतनमान में इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(छ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड I के अधिकारी बारी आने पर भारतीय विदेश सेवा (क) के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए रु० 900 (छठा वर्ष या कम) 50–1000–60–1600–50–1800 के वेतनमान में इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार पात्र होंगे ।

(ज) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) केवल विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए सीमित है और इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को छोड़ कर अन्य मंत्रालयों को स्थानांतरित नहीं किये जा सकते हैं । तथापि, वे भारत के भीतर या बाहर सेवा के लिए कहीं भी भेजे जा सकते हैं ।

(झ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेश सेवा के समय उनके मूल वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर संस्वीकृत दरों पर विदेश भत्ता दिया जाता है जो संबंधित देश में रहन-सहन के खर्च आदि पर आधारित होता है । इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू किए गए रूप में भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, के अनुसार विदेशों में सेवा के समय निम्नलिखित रिआयतें भी मिलेंगी :–

(i) सरकार द्वारा निर्धारित मापमान के अनुसार मुफ्त सुसज्जित आवास : ।

(ii) सहायता चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) भारत में किसी निकट संबंधी की मृत्यु या बीमारी जैसी विशेष आपातिक स्थितियों में, जिसकी व्याख्या सरकार करेगी, अधिकारी के पूरे सेवा-काल में अधिक से अधिक दो बार के लिए भारत के लिए और यहां से वापसी ड्यूटी के स्थान के लिए वापसी हवाई जहाज के टिकट ।

(iv) लम्बी छुट्टी के दौरान 8 और 21 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो भारत में अध्ययन कर रहे हैं अपने माता-पिता से मिलने के लिए कुछ शर्तों पर वार्षिक वापसी हवाई जहाज के टिकट ।

(v) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर 5 वर्षों और 18 वर्षों के बीच की आयु के अधिकतम दो बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता ।

(vi) विदेश सेवा के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर सज्जा भत्ता असामान्य शीत जलवायु वाले देशों में तैनात अधिकारियों को सामान्य सज्जा भत्ते के अलावा विशेष सज्जा भत्ता भी मिल सकता है ।

(vii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए गृह अवकाश किराया ।

(ञ) समय-समय पर यथा संशोधित परिशोधित अवकाश नियम, 1933, कुछ आशोधनों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे । कुछ पड़ौसी देशों को छोड़ कर विदेश सेवा के लिए परिशोधित अवकाश नियमों के अधीन मिल सकने वाले अवकाश के अतिरिक्त जमा अवकाश का 50 प्रतिशत तक पाने के अधिकारी पात्र होंगे ।

(ट) भारत में होने पर अधिकारी ऐसी सभी रिआयतों के पात्र होंगे जो बराबर और समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल सकते हैं ।

(ठ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960, और उनके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

(ड) इस सेवा में नियुक्त किये गये अधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उदार पेंशन नियम, 1950 और उनके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

20. **मणिपर पुलिस सेवा, क्लास-II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होगा है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान

रु० 300–25–450–द० रो०–30–600–द० रो०–30–900 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर पुलिस सेवा नियमावली, 1965 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

21. **त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास-III**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परिक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे बढ़ा सकता है।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

रु० 300–30–510–द० रो०–30–750–द० रो०–30–900

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा पुलिस सेवा नियमावली, 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

22. मणिपुर सिविल सेवा, क्लास-II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाऐं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायगा कि उसने परीवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है, तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1000–40–1200 ।

ग्रेड II—रु० 350–30–500–द० रो०–30–650–द० रो०–35–1000 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर सिविल सेवा नियमावली, 1965, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

23. त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाऐं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जाएगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1,175 / (नियत) ।

ग्रेड II (समय वेतन-मान)—रु० 325—30—475—35–545—द० रो०—35—825—द० रो—35—1000 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारंभ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

24. गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाऐं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उस से यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोआ, दमन तथा दियू संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 700–40–1100–50/2 –1250

ग्रेड II—रु० 350—25—500—30—590—द० रो० 30–800–द० रो० –30–830–35–900

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाले व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परंतुक के अधीन विनियमित किया जायेगा । सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के लिये वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर गोआ, दमन, तथा दियु सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये तथा अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किए गए आदेश लागू होंगे ।

25. पांडिचेरी सिविल सेवा, क्लास II

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएें पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जाएगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I–रु० 375–25–800

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परंतुक के अधीन विनियमित किया जायगा । सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के लिये वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाए गए अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गए आदेश लागू होंगे ।

26. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा अधीक्षक ग्रेड श्रेणी II

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में फिलहाल निम्नलिखित ग्रेड हैं —

ग्रेड	वेतनमान
वरिष्ट सिविलियन स्टाफ अधिकारी	1100–50–1400 रु०
सिविलिया स्टाफ अधिकारी	740–30–800–50 –1150 रु०
अधीक्षक ग्रेड	350–25–500–30 590–द० रो०–30 –800 रु०
सहायक ग्रेड	210–10–270–15 –300–द० अ० 15 –540–द० अ० –20–530 रु० ।

उपरोक्त सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतरसेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ती करती है ।

सीधी भर्ती केवल अधीक्षक ग्रेड तथा सहायक ग्रेड ही में की जाती है ।

(ख) अधीक्षक ग्रेड 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे । इन अवधि के दौरान उन्हें ऐसे कोई भी प्रशिक्षण, प्राप्त करने अथवा परीक्षाएें पास करनी पड़ सकती हैं जिन की सरकार व्यवस्था करे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न होने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरुप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जाएगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो सम्बन्धित अधिकारी को उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार के विचार में संतोषजनक न रहा हो सो चाहे तो उसे सेवा से निकाल दे या परिवीक्षा की अवधि को उतने काल तक के लिये बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे ।

(घ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने का अधिकार सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाय तो वह अधि-

कारी उपरोक्त धाराओं में वर्णित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा विभाग के अन्तर सेवा संगठनों में अधीक्षक सामान्यतः 'अनुभागों' मुखिया होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या एकाधिक अनुभागों का कार्यभार सम्हालेंगे ।

(च) अधीक्षक समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के हकदार होंगे ।

(छ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सेवा के वरिष्ट सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के हकदार होंगे ।

(ज) जहां तक छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है उनका नियंत्रण सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारी समय-समय पर प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये लागू विनियमों तथा आदेशों द्वारा होगा ।

परिशिष्ट IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

टिप्पणी—1. ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और इसलिये प्रकाशित किये जाते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका शारीरिक स्तर आपेक्षित स्तर तक का है । इन अधिनियमों का यह भी ध्येय है कि स्वास्थ्य परीक्षकों को ऐसे उम्मीदवारों को जो अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण न करता हो स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा अरोग्य घोषित न हो जाए मार्ग दर्शा सकें । तथापि, यह जानते हुए कि उम्मीदवार इन अधिनियमों में दी हुई शर्तों के अनुसार अरोग्य नहीं है स्वास्थ्य बोर्ड को आज्ञा होगी कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कारण लिख कर सिफारिश करें जिस से वह बिना असुविधा के सेवा में भर्ती किया जा सकता है ।

2. तथापि, यह भी स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार को किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है ।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए । यदि वजन कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा ।

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकनीकी तथा अतकनीकी" के अधीन इस प्रकार से होगा:—

क—**तकनीकी**

(1) रेलवे इंजीनियरी सेवा (सिविल, विद्युत यांत्रिक तथा सिग्नल) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, विशेष श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस, और समुद्री विभाग के पद ।

(2) केन्द्रीय इंजीनियरी श्रेणी I और II तार इंजीनियरी श्रेणी I, विद्युत इंजीनियरी वर्ग I और II, भारत सर्वेक्षण, श्रेणी I और II समुद्रपार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पद पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के निरीक्षण स्कन्ध के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी ।

(3) भारतीय वन सेवा ।

(4) भारतीय पुलिस सेवा ।

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० और ए० एस०, भारतीय सीमा-शुल्क सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे भंडार सेवा, रेलवे सुरक्षा दल । रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी I और II और रेलवे में श्रेणी I और II के सभी अन्य पद भारतीय रक्षा लेखा, सेवा आयकर अधिकारी (श्रेणी I ग्रेड II, और श्रेणी II) सेवा, भारतीय डाक सेवा (श्रेणी I) सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी I और II, भारत भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग श्रेणी I और II, बेतार योजना तथा समन्वय संगठन के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी ।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिये कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता ।

	कद	छाती का घेर (पूरा फैला कर)	फैलाव
	सें० मी०	सें० मी०	सें० मी०
1. रेलवे इंजीनियरी सेवा सिविल, विद्युत, यांत्रिक तथा सिग्नल परिवहन (याता यात तथा वाणिज्य विभागों) रेलवे सुरक्षा दल और विभागों के पदों पर समुद्र-पार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पदों में			
(पुरुषों के लिये)	152	84	5
(स्त्रियों के लिए)	150	79	5

2. भारतीय पुलिस सेवा—			
(पुरुषों के लिए)	165	84	5
(स्त्रियों के लिए)	150	79	5
3. भारतीय वन सेवा—			
(पुरुषों के लिए)	163	84	5
(स्त्रियों के लिए)	150	79	5

"गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जातियों आदि से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी जिनकी औसत कद की लम्बाई दूसरों से छोटी होती है।"

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायेगा:—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़ सीधा खड़ा होगा। और उसकी एड़ियां पिंडलियां नितंब और कन्धे मापदंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटैक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजैंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है:—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जायेगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जायेगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जायेगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जायेगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किये जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिये कहा जायेगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जायेगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जायेगा, 84-89, 86-93.5 आदि का नाम को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से भिन्न फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट:—अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती दो बार नापनी चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायेगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जायेगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायेगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायेगा:—

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मैडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जायेगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक-इन्फार्मेशन) मिल जायेगी।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिये चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा:

सेवा की श्रेणी	दूर की नजर (ठीक की हुई दृष्टि)		नजदीक की नजर (ठीक की हुई दृष्टि)	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
वर्ग I और II				
(i) तकनीकी	6/6	6/2 या 6/9	जे० 1	जे० 2 या जे० 2
(ii) अतकनीकी	6/9	6/12	जे० 1	जे० 2

(घ) (i) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य सेवाओं के संबंध में (सिलिंडर मिलाकर) मायोपिया कुल—4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं हो। हाइपरमेट्रोपिया की कुल (सिलिंडर मिलाकर) 4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ii) आयोगिता के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिये और उसका परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। व्याधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकता है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) **दृष्टिक्षेत्र**—सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। तब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टिक्षेत्र की परिभाषी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिये।

(च) **रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनेस)**—साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन "ए" की कमी होने के कारण, और (2) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण रेटीनीटिस पिगमेन्टोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाता है। ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस में खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिये अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्युक्त (2) के लिये विशेषतया जब फंडस खराब न हो तो इलैक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है । इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिये साधारण चिकित्सक जांच के लिये यह समय नहीं है । अतकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिये कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं । यह बात इस बात पर निर्भर होगा कि पद से सम्बन्ध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी ड्यूटी जिस तरह की होंगी ।

कलर विज़न— रंगों के संबंध में नज़र की जांच जरूरी है ।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों ।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1	2	3
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	16′	16′
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मीटर	1.3 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकंड	5 सैकंड

लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विज़न है । इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपर्युक्त लैंटर्न और अच्छे रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विज़न की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जायेगा । वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है । लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है । शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से आंच करनी चाहिए । तथापि कलर विज़न की जांच के लिए इशिहारा प्लेट और एड्रिज की हरी लालटेन दोनों का प्रयोग भारतीय रेल यातायात सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा ।

(ज) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन्स)—

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टेव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिये ।

(ii) भेंगापन (स्क्विंट)—तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिये । यह रेलवे सुरक्षा दल के उम्मीदवारों के लिये भी लागू होगा । दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिये अयोग्यता के कारण नहीं समझना चाहिये ।

(iii) एक आंख : श्रेणी I और II श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य बोर्ड एक आंख वाले व्यक्ति की सिफारिश उसी अवस्था में कर सकता है जबकि बोर्ड के मन्त्रालयानुसार उम्मीदवार संबंधित सेवा में उससे अपेक्षित सभी कार्य कर सकता हो । यद्यपि ठीक आंख की दृष्टि पकड़ दूर की नजर के लिए 6/6 और नजदीक की नजर 0.6 के लिए हो और वर्तन-त्रुटि (रिफ्रेक्टेव एरर) 4.00 डी० से कम या अधिक न हो और ठीक आंख का फंडस सामान्य सामान्यतः पता न चले । विकलांगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त छूट केवल एक आंख वाले व्यक्तियों के लिए होगी और अन्य व्यक्तियों के लिए यह छूट लागू नहीं होगी ।

(2) **कोन्टैक्ट लैंस** (Contact Lenses)

उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टैक्ट लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी । आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नज़र के लिये टाइप किए हुए अक्षर 16 फुट से प्रकाशित हों ।

(7) **ब्लड प्रेशर**

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिग प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है ।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100?+आयु होता है ।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाये । यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर की ओर 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट

से यह पता लगाना चाहिये कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है, [ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत् हृल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़िक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार को योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।]

ब्लड प्रेशर (रक्तदाब) लेने का तरीका

नियमत: पारेवाले दाबमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल, और आराम से हो। कुछ कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ़ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रकिअल आर्टेरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टैथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ़ के साथ न लगे। कफ़ में लगभग 200 m.m. Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज़ सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर यह साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई-सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफ़ी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ़ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ़ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलेंट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज़) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज़ मेह (ग्लाइकोसुलिरआ) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाये तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधु मेही (नानडायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैण्डर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक उसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो, इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर आयोजित घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह जबाने के लिए ज़रूरी होने पर नकली दाँत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रपचर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वरिकोसील शिरा (बेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नही और उसकी संधिया भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती है या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. जहां तक मिली-जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, उनके लिए ऊपर पैरा 11 के नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नहीं होती। इस परीक्षा के उम्मीदवार को अपील की शुल्क 50 रु० भारत सरकार के इस सम्बन्ध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा आरोग्य घोषित किए जाएंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जाएगी। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिएं अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीयर स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जानेवाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा-भत्ता या दैनिक-भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय या स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य-परीक्षा के प्रबन्ध के लिए गृह-मंत्रालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइस रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (आपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिसे वह उस सेवा के लिए आयोग्य हो या आयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय-पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बहार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिये, कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशा का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाये तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थिति होने के लिये कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया जाये तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम-से-कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिये। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिये।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमैंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिएं। नीचे दिये गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्याना देना चाहिये।

1. अपना पूरा नाम लिखें.....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं.....

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जातियों आदि से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइए।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियों (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रूमैटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मैडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण

आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण

आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? .....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था? .....

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ? .....

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो। .....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर .....

नोट—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो बार्धक्य निवृत्ति भत्ता [सुपरएनुएशन अलाउंस या उपदान (ग्रेचुअटी)] के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) .....की शारीरिक परीक्षा की/ मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास: अच्छा .....बीच का .....कम
पोषण : पतला .....औसत .....मोटा .....
कद (जूते उतार कर) .....वजन .....
अत्युत्तम वजन .....कब था? .....
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन .....
तापमान .....

छाती का घेर .....

(1) पूरा सांस खींचने पर .....
(2) पूरा सांस निकालने पर .....

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी .....

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी .....
(2) रतोंधी .....
(3) कलर विजन का दोष .....
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) .....
(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी) .....

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर
			गोल सिलि० अक्ष
दूर की नजर		दा० ने०	
		बा० ने०	
पास की नजर		दा० ने०	
		बा० ने०	
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)		दा० ने०	
		बा० ने०	

4. कान : निरीक्षण ..... सुनना
दायां कान ..... बायां कान .....

5. ग्रंथियां ..... थाइराइट .....

6. दांतों की हालत .....

7. श्वसन तंत्र (रस्पिरेटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्योरा दें ।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ?
.....

गति रेट:
खड़े होने पर :
25 बार कुदाए जाने के बाद .....

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद .....

(ख) ब्लड प्रेशर ..... सिस्टालिक ... डायस्टालिक
.....

9. उदर (पेट) : घेर ..... दाब वेदना (टैंडरनैस)
हर्निया .....

(क) दवा कर मालूम पड़ना, जिगर ..... तिल्ली ...
गुर्दे ..... ट्यूमर .....

(ख) बवासीर के मस्से ..... फिस्चुला ....

10. तांत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत .....

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता .....

12. जनन-तंत्र (जनिटो यूरिनरी सिस्टम)/हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत । मूत्र परीक्षा :

(क) कैसा दिखाई पड़ता है
(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)
(ग) एलब्यमेन
(घ) शक्कर
(ङ) कास्ट
(च) कोशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिये वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा, मनीपुर पुलिस सेवा तथा त्रिपुरा पुलिस सेवा .....

(ग) केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I और II, मणिपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा .....

(ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें) ।

(ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें) ।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है ।

नोट—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये ।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण .....

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण .....

स्थान ..... अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) .....
तारीख ..... सदस्य .....
सदस्य .....

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 1970

सं० (31/5/70-प्रशासन III बी)—राष्ट्रपति जी, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों आदि के अफसरों और कर्मचारियों को "प्रशस्ति प्रमाण पत्र" देने से सम्बन्धित उस योजना के खण्ड (ङ) में नीचे बताये अनुसार संशोधन करते हैं जो, समय-समय पर यथा संशोधित, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खण्ड 1 में अधिसूचना सं० 12/139/59-प्रशासन III-बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 में प्रकाशित हुई थी :—

"(ङ) सेवा के विशिष्ट उल्लेखनीय रिकार्ड के लिये 'प्रशस्ति प्रमाण पत्र" [अर्थात् उपर्युक्त खण्ड (क) (II) के अन्तर्गत] सामान्यत: केवल उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जायेंगे जिन्होंने सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पादन शुल्क/नारकोटिक्स विभाग/प्रवर्तन निदेशालय में कम से कम 15 वर्ष तक सेवा की है परन्तु असाधारण परिस्थितियों में उन अधिकारयों तथा कर्मचारियों के मामलों पर भी विचार किया जाये जिन्होंने 10 वर्ष तक सेवा की है । "प्रशस्ति प्रमाण-पत्रों"

के ऐसे प्राप्तकर्ता नये 'प्रशस्ति प्रमाण पत्र' मंजूर किये जाने के लिये तभी हकदार होंगे जब उनको पिछला 'प्रशस्ति प्रमाण पत्र" दिये जाने के बाद कम से कम 5 वर्ष की अवधि बीत चुकी हो ।"

2. ये आदेश वर्ष एक हजार नौ सौ उनहत्तर में मई की आठवीं तारीख से लागू होंगे ।

शान्ति प्रकाश कम्पानी, संयुक्त सचिव

(अर्थ विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1970

संख्या एफ० I (65)—बी/68—भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की वित्त लेखा और लेखा-परीक्षा' और 'भारत सरकार के तन्त्र और उसकी कार्यप्रणालियों' सम्बन्धी रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों से पैदा होने वाले लेखा-शीर्षकों और बजट-शीर्षकों से सम्बद्ध कुछ मामलों पर विचार करने के लिए 22 मार्च, 1969 के संकल्प संख्या एफ I(65)—बी/68 द्वारा जो दल गठित किया था वह अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च, 1970 की बजाय 31 दिसम्बर, 1970 तक दे दे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति दल के संयोजक और सदस्यों के पास भेज दी जाय ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

ए० आर० शिराली, संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 1970

सं० 5/8/69—सीमेंट—भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय के संकल्प सं० 2-3/67—सीमेंट दिनांक 30 अगस्त, 1967 में आंशिक रूप भेद करते हुये भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग की नामिका का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है । नई नामिका का कार्यकाल इस संकल्प की तारीख से दो वर्षों का होगा और इसकी रचना निम्न प्रकार होगी ।

अध्यक्ष

1. डा० ए० सीतारमैया,
   वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (रसायन),
   तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
   नई दिल्ली ।

सदस्य सचिव

2. श्री एन० जी० बसाक,
   विकास अधिकारी (सीमेंट),
   तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
   नई दिल्ली ।

सदस्य

3. श्री के० एन० मिश्र,
   प्रबन्ध निदेशक,
   सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०,
   नैशनल हैराल्ड बिल्डिंग,
   5-ए, बहादुरशाह जफर मार्ग,
   नई दिल्ली-1 ।
4. श्री रबिन्दरसिंह, निदेशक,
   राष्ट्रीय इमारत संगठन,
   नई दिल्ली-11 ।
5. निदेशक,
   केन्द्रीय इमारत अनुसंधान संस्थान,
   रुड़की (उ० प्र०) ।
6. डा० एच० सी० विश्वेश्वरैया, निदेशक,
   भारत का सीमेंट अनुसंधान संस्थान,
   नई दिल्ली-49 ।
7. श्री रणवीर एम० खटाऊ,
   दि एसोशिएटेड सीमेंट कं० लि०,
   सीमेंट हाउस, 121 महर्षि कार्वे रोड, बम्बई-1 ।
8. श्री एल० स्वरूप, डालमिया सीमेंट (भारत) लि०
   4,सिंधिया हाऊस, नई दिल्ली-1
9. श्री के० के० सोमानी,
   श्री दिग्विजय सीमेंट कं० लि०,
   सिक्का, जामनगर (गुजरात) ।
10. श्री एस० एस० रामचन्द्र राजा,
    मद्रास सीमेंट्स लि०,
    1, राममंदिरम, राजपलैयम्, (तमिलनाडु)
11. श्री जे० आर० बिड़ला,
    सतना सीमेंट वर्क्स,
    सतना (म० प्र०) ।
12. श्री एस० पी० सिन्हा,
    कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स लि०,
    बंजारी (बिहार) ।
13. श्री के० आर० सुन्दरेसन,
    पण्यम् सीमेंटस एण्ड मिनरल्स इण्डस्ट्रीज लि०,
    डाक घर सीमेंट नगर,
    जिला कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश) ।
14. श्री के० वी० तलछेरकर,
    होलट्रक इन्जीनियर्स (प्रा०)लि०,
    बैंक आफ बिहार बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स 57, जजेज कोर्ट रोड,
    पटना-1 ।
15. श्री इम० वी० राव,
    उपाध्यक्ष, सीमेंट मशीन निर्माता संघ,
    द्वारा दि के० सी० पी० लि० 38,माउंट रोड,
    मद्रास-6 ।

16. श्री जे० पी० मुखर्जी,
बालचन्द्रनगर इण्ड० लि०,
बालचन्द्रनगर, पूना ।

17. उप-सचिव,
(औद्योगिक विकास विभाग के सीमेंट उद्योग के प्रभारी)

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा सर्व-साधारण की जानकारी के लिए इसे भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एस० के० राव, उप-सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
(कृषिविभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 1970

संस्ताव

सं० क्रमांक 2-45/66-रिआर्ग (एडमिन)—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के संस्ताव संख्या 2-15/68-रिआर्ग (एडमिन), दिनांक 19 मार्च, 1969, जो कि भारत के राजपत्र के भाग 1, अनुभाग 1 में प्रकाशित किया गया था, के सिलसिले में भारत सरकार ने कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्थान (सरकारी पक्ष) का प्रशासनिक नियंत्रण 1 अप्रैल, 1970 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सोसाइटी को स्थानांतरित करने का निश्चय किया है ।

2. सरकार ने संस्थ न की ऐसी चल तथा अचल संपत्ति, दावे तथा व्यवहार्य दावे सहित आस्तियां और ऋण तथा देनदारियां जो कि सरकार औपचारिक विलेख तथा स्थानातरण विलेख, जो कि बाद में निष्पादन किये जायेंगे, के द्वारा निश्चय करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को स्थानांतरित करने का भी निश्चय किया है । विलेखों के स्वरूप तथा प्रकार के बारे में बाद में निश्चय किया जाएगा ।

3. स्थानांतरित संस्थान के कार्यकलापों के सम्बन्ध में वित्त प्रबन्ध करने के लिए भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को आवश्यक वार्षिक सहायक अनुदान देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रतिलिपि समस्त, राज्य सरकारों, संघ-शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाये ।

2. यह भी आदेश है कि यह संस्ताव भारत के राजपत्र में जन-साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये ।

भ० रा० पटेल, सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च, 1970

सं० एफ० 18-17/63-यू० I—भारत सरकार, पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या आर० एच० ए० ई० 5 (2)/53, दिनांक 21 मई, 1955 के साथ पढ़ी जाने वाली और शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 18-17/63-यू० -I दिनांक 12 मार्च, 1970 के जरिए और यथा संशोधित भारत सरकार, पुनर्वास मंत्रालय का अधिसूचना संख्या आर० एच० ई०/II(5)/52, दिनांक 5 सितम्बर, 1952 की द्वितीय अनुसूची के पैराग्राफ 6क में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा, श्री एस० चक्रवर्ती, सचिव, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली के स्थान पर श्री एम० वी० माथुर, निदेशक, एशियाई शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को देशबन्धु कालेज, कालकाजी, के प्रशासन मण्डल के अध्यक्ष के रूप में, तत्काल से उस समय तक के लिए नामित करती है जब तक कि मण्डल के सदस्य अपने में से किसी को मंडल का अध्यक्ष नहीं चुनते हैं ।

राम स्वरूप चिटकारा, उप-शिक्षा सलाहकार

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 12th March 1970

CORRIGENDUM

No. F. 15/12/67-*SW.5.*—Please *substitute* the following for the existing para 3 of this Department Resolution No. F. 15/12/67-SW.5., dated the 22nd December, 1969 :—

"3. The composition of the Board will be as follows :—

Chairman

Shri P. Govinda Menon, Minister for Social Welfare.

Vice-Chairman

Dr. (Smt.) Jhulrenu Guha, Minister of State for Social Welfare.

Members

Shri P. P. I. Vaidyanathan, Additional Secretary, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.

Shri M. C. Nanavatty, Adviser, Social Welfare, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.

Deputy Secretary, in the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi dealing with Jail Affairs.

Deputy Director in the Central Bureau of Investigation, New Delhi, dealing with crime matters.

Shri A. K. Srinivasamurthy, Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law, Government of India.

Shri S. B. Bhattacharjya, Inspector General of Prisons, West Bengal.

Shri D. J. Jadhav, Inspector General of Prisons, Maharashtra.

Shri E. L. Stracey, Inspector General of Prisons, Tamil Nadu.

Shri H. C. Saxena, Inspector General of Prisons, Uttar Pradesh.

Shri N. G. Pandya, Director, Social Welfare, Gujarat.

Shri R. S. Khanna, Director of Social Welfare, Madhya Pradesh.

Shri K. Laxman Rao, Director, Social Welfare, Mysore.

Shri R. P. Puri, Inspector General of Prisons, Punjab, Chandigarh.

Shri J. J. Panakal, Head of Department of Criminology and Correctional Administration, Tata Institute of Social Sciences, Bombay.

Shri Sushil Chandra, Prof. of Sociology, University of Lucknow.

Shri A. V. John, Retd. Inspector General of Prisons. Eranakulam, Cochin-15.

Smt. Sita Basu, Former Hony., Magistrate, Juvenile Court, Member, Faculty, Delhi School of Social Work, 3, University Road, Delhi-6.

Member-Secretary

Dr. (Smt.) Jyotsna H. Shah, Director, Central Bureau of Correctional Services, Ramakrishnapuram, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this corrigendum be sent to all the Members of the Committee, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Chief Secretaries of State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

P. P. I. VAIDYANATHAN, Additional Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 25th March 1970

RESOLUTION

No. 27/25/68-*Est.(SCT)*.—The policy of the Government of India in regard to reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts and services under the Government of India was laid down in the Ministry of Home Affairs Resolution No. 42/21/49-NGS, dated 13th September 1950. The question of revising the percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts and services under the Government of India in the light of the population of these communities as shown in the 1961 Census has been under the consideration of the Government for some time. It has now been decided in modification of the decisions contained in paras 2 and 4(1) of the Resolution dated 13th September 1950 that the following reservations will hereafter be made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in posts and services under the Government of India which are filled by direct recruitment :—

Scheduled Castes : Instead of the existing reservation of 12½%, there will be a reservation of 15% of the vacancies in favour of Scheduled Castes, in posts filled by direct recruitment on an all India basis by open competition *i.e.* through the Union Pubilc Service Commission or by means of open competitive tests held by any other authority. Where recruitment is made otherwise than by open competition, the existing reservation at 16-2/3% of the vacancies in favour of Scheduled Castes will continue.

Scheduled Tribes : Both in recruitment by open competition and in recruitment made otherwise than by open competition to posts filled by direct recruitment on an all India basis, the reservation in favour of Scheduled Tribes will be 7½% as against the existing reservation of 5%.

2. In posts and services recruitment to which is made on a local or regional basis, the percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be revised wherever necessary after taking into account the percentages of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the various States and Union Territories according to the 1961 Census.

3. The Government of India have also decided that in vacancies in posts filled by promotion in which reservations have been provided *vide* Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 1/12/67-Est.(C), dated 11th July 1968, the percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in such posts shall also be raised from 12½% to 15% in favour of Scheduled Castes and from 5% to 7½% in favour of Scheduled Tribes.

4. These orders shall take effect from the date of issue of this Resolution, except where rules for a competitive examination have already been published or where selections for posts to be filled by direct recruitment or for posts to be filled by promotion have already been made prior to the issue of these orders.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Minitries/Departments of the Government of India, all Union Territories, Zonal Councils, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Union Public Service Commission, the Comptroller & Auditor General of India, the Cabinet Secretariat (Department of Cabinet Affairs), the Cabinet Secretariat (Department of Statistics), President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Planning Commission, Administrative Reforms Commission and all State Governments for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

UMA SHANKAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 12th March 1970

No. F. 31/5/70-*Ad. IIIB*.—The President is pleased to amend clause (e) of the Scheme for the grant of "Appreciation Certificates" to officers and staff of the Customs and Central Excise Departments etc. announced in this Ministry's Notification No. 12/139/59-Ad.IIIB, dated the 5th November, 1962, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extra-ordinary dated the 5th November, 1962, as amended from time to time, as under :—

"(e) 'Appreciation Certificates' for specially distinguished record of service [*i.e.* under clause (a) (ii) above] will normally be granted only to those officers and members of the staff who have put in a minimum of 15 years' service in the Customs/Central Excise/Narcotics Department/Directorate of Enforcement, but in exceptional circumstances, cases of officers and staff who have put in 10 years' service, may also be considered. Such recipients of 'Appreciation Certificates' will be entitled to the grant of a fresh 'Appreciation Certificate' only when a minimum period of five years has elapsed since the previous 'Appreciation Certificate' was awarded".

2. These orders shall be effective from the Eighth of May in the year one thousand nine hundred and sixty-nine.

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 26th March 1970

RESOLUTION

No. F. 1(65)-*B*/68.—The Government of India has decided that the Team constituted under Resolution No. F. 1(65)B/68, dated the 22nd March, 1969, to consider certain matters relating to Accounts and Budget Heads arising out of the recommendations of the Administrative Reforms Commission in its Report on 'Finance, Accounts and Audit' and 'The Machinery of the Government of India and its procedure of work" should submit its recommendations to Government by 31st December, 1970 instead of 31st March, 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Convener and Members of the Team.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

Minerals Ores Export Advisory Committee

New Delhi, the 30th March 1970

RESOLUTION

No. 15/41/63*M&F.*—In further modification of Government of India Resolution No. 15/41/63-M&F, dated 27th August, 1963 as last amended by Resolution of even number dated 14th October, 1968, the Government of India have decided to make the following addition in the list of members :—

"28" GUJARAT MINERAL INDUSTRY ASSOCIATION, AHEMDABAD—*Member*"

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. K. MUKHERJEE, Dy. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES AND METALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 20th March 1970

RESOLUTION

No. 101(22)/68-*PPD.*—In the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) Resolution No. 101(22)/68-PPD, dated the 14th June 1968, as amended to date, in paragraph 3, after the sub-paragraph (viii) the following sub-paragraph may be added :—

(ix) the determination of the rate of commission to agents/dealers in respect of Light Diesel Oil when sold (i) ex-godowns, (ii) through barrel outlets and (iii) retail pump outlets.

2. Further, in partial modification of Government of India Resolution of even number dated the 17th January, 1970, Para 8 of the aforesaid Resolution dated 14th June, 1968 shall be amended to read as follows :—

"8. The Committee will meet as often as may be considered necessary by the Chairman and shall submit its main report to Government by the 31st October, 1969. A supplemental report on any item not covered in the main report shall be submitted before 30-6-1970. For this purpose the duration of the Committee is extended till 30-6-1970."

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India, all the State Governments, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Accountant General, Commerce, Works & Miscellaneous and the Accountant General, Central Revenues.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

E. N. MANGAT RAI, Special Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 28th March 1970

RESOLUTION

No. 58/69-*Cem.*—In partial modification of the late Ministry of Industry Resolution No. 2-3/67-Cem., dated 30th August, 1967, the Government of India have decided to reconstitute the Panel on Cement Industry. The tenure of the new Panel will be two years from the date of this Resolution and its Composition will be as follows :—

Chairman

1. Dr. A. Seetharamiah, Senior Industrial Adviser (Chemicals), Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Member-Secretary

2. Shri N. G. Basak, Development Officer (Cement), Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Members

3. Shri K. N. Misra, Managing Director, Cement Corporation of India Limited, 'National Herald Building, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1.
4. Shri Rabindar Singh, Director, National Buildings Organisation, New Delhi-11.
5. Director, Central Building Research Institute, Roorkee (U.P.).
6. Dr. H. C. Viisveswaraya, Director, Cement Research Institute of India, New Delhi-49.
7. Shri Ranvir M. Khatau, The Associated Cement Co. Ltd., Cement House, 121, Maharshi Karve Road, Bombay-1.
8. Shri L. Swaroop, Dalmia Cement (Bharat) Ltd., 4, Scindia House, New Delhi.
9. Shri K. K. Somani, Shree Digvijay Cement Co. Ltd., Sikka, Jamnagar (Gujarat).
10. Shri S. S. Ramachandra Raja, Madras Cements Ltd., Ramamandiram', Rajapalaiyam (Tamil Nadu).
11. Shri J. R. Birla, Satna Cement Works, Satna (M.P.).
12. Shri S. P. Sinha, Kalyanpur Lime and Cement Works Ltd., Banjari (Bihar).
13. Shri K. R Sundaresan, Panyam Cement & Mineral Industries Ltd., Cement Nagar P.O., Kurnool District (Andhra Pradesh).
14. Shri K. V. Talcherkar, Holetc Engineers (Pvt.) Ltd., Bank of Bihar Building, P. Box 57, Judges Court Road, Patna-1.
15. Shri V. M. Rao, Vice President, Cement Machinery Manufacturers' Association, C/o The K.C.P. Ltd., 38, Mount Road, Madras-6.
16. Shri J. P. Mukherjee, Walchandnagar Industries Ltd., Walchandnagar, Poona.
17. Deputy Secretary (in-charge of cement industry in the Department of Industrial Development).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be also published in the Gazette of India for general information.

S. K. RAO, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi-1, the 24th March 1970

RESOLUTION

No. 2-45/66-*Reorgn.* (*Adm.*).—In continuation of Resolution No. 2-15/68-Reorgn. (Adm.), dated the 19th March 1969, of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation—published in the Gazette of India Part I Section 1—the Government of India have further decided to transfer the administrative control of the Institute of Agricultural Research Statistics (Government side) to the Indian Council of Agricultural Research Society with effect from 1st April 1970

2. The Government have also decided to transfer such movable and immovable property, assets including claims and actionable claims and debts and liabilities of the Institute to the Indian Council of Agricultural Research as may be decided by the Government by a formal deed or deeds of transfer to be executed later. The nature and the form of thedeeds would be determined later.

3. The Government of India will give requisite annual grants-in-aid to the Indian Council of Agricultural Research for financing the activities of the transferred Institute.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries and Departments of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. R. PATEL, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 18th March 1970

No. F. 18-17/63-*U.*1.—In pursuance of the provisions contained in paragraph 6A of the Second Schedule to the Government of India, Ministry of Rehabilitation, notification No. RHE/11(5)/52, dated the 5th September 1952, read with the notification No. RHAE 5(12)/53, dated the 21st May, 1955 of the aforesaid Ministry and further amended *vide* notification No. F. 18-17/63-U.1, dated the 12th March, 1970 of the Ministry of Education and Youth Services, the Central Government hereby nominates Prof. M. V. Mathur, Director, Asian Institute of Educational Planning and Administration, Indraprastha Estate, New Delhi as the Chairman of the Board of Administration, Deshbandhu College, Kalkaji with immediate effect *vice* Shri S. Chakravarti ,Secretary, Ministry of Education and Youth Services until such time as the members of the Board elect a Chairman from amongst themselves.

R. S. CHITKARA, Dy. Educational Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970